संख्या-2/2017/300/एस0ची0उ0अनु0-1/17-1700/2016

प्रेषक,

नरेश बहादुर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

चीनी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 18 अप्रैल, 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-2018 के प्रथम पॉच माहों (अप्रैल से अगस्त तक) अनुदान संख्या-24 के अन्तर्गत चीनी आयुक्त के अधिष्ठान हेतु प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

&&&&&&&&&&&&&&&&&&

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक-201/लेखा-बजट/2017-2018, दिनांक 30-3-2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-2018 में प्रथम पॉच माहों (अप्रैल से अगस्त तक) हेतु चीनी आयुक्त का अधिष्ठान व्यय अनुदान संख्या-24 के लेखा शीर्षक-2852-उद्योग, 08-उपभोक्ता उद्योग, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 03-चीनी आयुक्त का अधिष्ठान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 2038.65 लाख (रूपये बीस करोड़ अड़तीस लाख पैंसठ हजार मात्र) में से लेखानुदान अवधि प्रथम पॉच माहों (अप्रैल से अगस्त तक) हेतु धनराशि रू0 806.00 लाख (रूपये आठ करोड छः लाख मात्र) का निम्न विवरण के अनुसार आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख रूपये में)

	वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राविधानित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रथम पॉच माहों (अप्रैल से अगस्त) हेतु स्वीकृत की जाने वाली धनराशि
01-वेतन	1728.56	720.23
03-मंहगाई भत्ता	86.43	36.01
04-यात्रा व्यय	8.80	3.67
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.93	0.39
06-अन्य भत्ते	61.00	25.42
07-मानदेय	0.14	0.06
08-कार्यालय व्यय	4.40	1.83
09-विद्युत देय	2.75	1.15
10-जलकर/जलप्रभार	0.02	0.01
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1.30	0.54
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	3.00	1.25
13-टेलीफोन पर व्यय	0.99	0.41
15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	2.83	1.18
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1.25	0.52

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	12.00	5.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.40	0.17
45-अवकाश यात्रा व्यय	0.10	0.04
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	4.00	1.67
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	4.40	1.83
49-चिकित्सा व्यय	11.00	4.58
51-वर्दी व्यय	0.10	0.04
योग-	1934.40	योग-806.00

(रूपये आठ करोड़ छः लाख मात्र)

3- उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि स्वीकृत धनराशि को व्यय करने के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

4- आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5- व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6- स्वीकृत की जा रही उपर्युक्त धनराशि का कोषागार से आहरण आवश्यकतानुसार किया जाये।

7- उपर्युक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि को वित्तीय वर्ष 2017-2018 के अनुदान संख्या-24 (आयोजनेत्तर पक्ष) के अन्तर्गत उक्त लेखा शीर्षक-"2852-उद्योग, 08-उपभोक्ता उद्योग, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 03-चीनी आयुक्त का अधिष्ठान" के उक्त उल्लिखित सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

नरेश बहादुर
विशेष सचिव।

संख्या-2/2017/300(1)एस0ची0उ0अनु0-1/17-तद्-दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रधान महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में)
7- चीनी उद्योग अनुभाग-2/3
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।